# महिला सशक्तिकरण हेतु शासकीय प्रयास एवं संभावित उपायों का अध्ययन

* कु. ममता गोयल

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में प्राचीनकाल से वर्तमान समय तक अनेक उतार चढ़ाव आये है। वैदिक युग में वे समान स्थिति पर आसीन थी। शिक्षा सुविधा के कारण प्राचीन काल में उनके प्रति सम्मान और महत्व की भावना अवश्य प्रचलित थी– मनुस्मृति की घोषणा (मनुस्मृति 3–56) इसकी साक्षी है। लेकिन धीरे–धीरे उसकी स्थिति में ह्रास हुआ और स्थिति आज यह है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहें है।

प्रतिवर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही शोर–शराबे के साथ मनाया जाता है। इस विशेष दिवस पर उन सभी महिलाओं जैसे – मध्ययुग की नारी, अहिल्या बाई होल्कर, नवयुग की अग्रदूत प्रथम क्रांतिकारी महिला भीका जी कामा, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. एनी बेसेंट, अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू, दुर्गा बाई देशमुख, महान लेखिका– कवयित्री महादेवी वर्मा, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिने कलाकार–देविका रानी, सरोदवादिका शरण नारी, मदर टेरेसा महारानी लक्ष्मीबाई जैसे सभी महिलाओं के विचार सुनने को मिलते है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल की है, लेकिन क्या वह भारत की आम महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर पाती है ? आज चहार दीवारी में बंधी नारी ने बड़ी मजबूती से घर की दहलीज के बाहर उन क्षेत्रों में कदम रखे है, जहां अब तक, पुरूषों का एकाधिकार था। वे सभी कार्य कर रही है, जो नामुमकिन है, और चोटियाँ फतह कर रही है, पर ऐसी महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। संपूर्ण नारी वर्ग की तस्वीर इससे विपरीत है। फिर घर की देहरी लांघने वाली लेकिन ये महिलाऐं भी, बहुत खुश नहीं, अक्सर उनकी अस्मिता पर आघात होते रहते है। चाहे बात स्वाबलंबन की हो साक्षरता की हो या सबलीकरण की हो भारतीय नारी बहुत पीछे है। संयुक्त राष्ट्र की वह रिपोर्ट जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश की एक तिहाई महिलाऐं ऐसी है, जिन्हें यह एक अधिकार नहीं है कि वे घर में शाम का भोजन मरजी से पका सके। मेरे विचार से भारत ही नहीं दुनिया में हर जगह एक आम महिला का जीवन बहुत संघर्षशील है। यह संघर्ष मानसिक व शारीरिक कष्टों के साथ जारी है। पूरे विश्व में ही महिलाऐं अपने अस्तिव के लिये संघर्षशील है, महिलाओं में भी विशेष रूप से वे महिलाऐं जो गॉवों में आज भी परिवार व बच्चों के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुये खेतों, सड़कों, खलिहानों में काम करती है, भले ही वह स्वस्थ न हों।

महिला वर्ष 1975 महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की व्यापक चेतना जगाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस वर्ष में जो मांगे उठाई गई, जो नीतियां निर्धारित की गई, उनका परिणाम कई रूपों में, कई सेवा योजनाओं ओर कार्य क्षेत्रों में धीरे–धीरे सामने आ रहा है। भारत सरकार ने केन्द्र व राज्य स्तर पर महिला कल्याण ओर उनके सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाऐं बनाई गई। कुछ नये कानून व संसोधन भी सामने आए। लेकिन इन प्रयासों में आज भी कहीं कमी रही गई है।

**महिला सशक्तिकरण :** महिलाओं के सशक्तीकरण का तात्पर्य उन्हें अधिक शक्ति या सत्ता दिया जाना है अर्थात् महिला को अधिक सुविधापूर्वक कार्य करने देने के लिये उनमें चेतना एवं उन क्षमताओं का विकास किया जाना ताकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा सकें।

सशक्तिकरण की अवधारणा एक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन भी है एवं स्वयं अपने अप में साध्य भी, क्योंकि भिन्न–भिनन परिस्थितियों में इसका भिन्न अर्थो में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में सशक्तिकरण के विचार को मानव अधिकारों से लिया गया है। इन अधिकारों के अन्तर्गत मूलभूत आवश्यकताओं, आर्थिक सुरक्षा, क्षमताओं के विकास, सम्मानीय जीवनयापन आदि को सम्मिलत किये गया है। भारतीय संदर्भ में सशक्तिकरण का अर्थ है – पिछड़े एवं दलित लोगों का पुनरूत्थान दूसरे शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अभिप्रायः महिलाओं के सामाजिक पुनरूथान से संबंधित है।

सशक्तिकरण का आशय सिर्फ शक्ति का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति का प्रयोग की क्षमता का विकास किया जाता है। अतः महिलाओं को परावलंबन की भावना से मुक्त कराना उनकी हीन भावना को समाप्त करना ही सशक्तिकरण है। महिला की समाज की मुख्य धारा में जाना एवं निर्णय क्षमता का विकास करना ही सशक्तिकरण है। अतः सब महिलाओं की इच्छा अनिच्छा की परिवार एवं समाज में कद्र की जाए, सम्मान खोए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके एवं सभी प्रकार के निर्णयों हेतु हक दिया जाए देश की प्रगति में इसका पर्याप्त योगदान हो तो हम कह सकेंगे कि महिला सशक्त हो गई।

**महिलाओं की वर्तमान स्थिति :** वर्तमान युग में महिला पर अत्याचार दैनिक दिनचर्या का विषय बन चुका है क्योंकि आये दिन समाचार पत्र पत्रिकाओं में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार की घटनाऐं, नव विवाहित महिलाओं को दहेज की बलि बेदियों पर चढ़ाया गया, कन्या भ्रूण हत्या जैसी खबरें मितली रहती है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा

*पी.एच.डी. शोधार्थी, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू जिला इन्दौर ( म. प्र. )

प्रकाशित पत्रिका ''बच्चे भारत की शक्ति'' में बताया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख 25 हजार महिलाऐं गर्भाधारण के कारण या बच्चों के संबंध में किसी कारण से मौत का शिकार हो जाती है। 72 प्रतिशत गर्भवती महिलाऐं निरक्षर है। प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 20 लाख लड़कियां जन्म लेती हैं लेकिन इनमें से 30 प्रतिशत लड़कियां अपना 15वां जन्मदिन नहीं देख पाती है। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक 10 लड़कियों में से 6 लड़किया ही, 5 वीं कक्षा तक पहुॅच जाती है।

वर्तमान युग में काम के घंटों में 60 प्रतिशत से भी अधिक योगदान महिलाऐं करती है। वे सिर्फ 1 प्रतिशत संपत्ति की मालिक है। इतने वर्षो बाद भी हमारी कार्यशील जनसंख्या में से 70 प्रतिशत महिलाऐं अकुशल कार्यो में लगी है तथा उसी हिसाब से मजदूरी पा रही है। इसके अलावा महिलाओं के कई कार्य ऐसे है जिनकी गिनती नहीं होती जैसे खाना बनाना, घर की सफाई, बच्चे के पालन–पोषण आदि से ऐसे अनगिनत कार्य है जिनका कोई महत्व नहीं है। महिलाओं की साक्षरता 1981 में 29.75 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 39.29 प्रतिशत में पहुंची और 2001 में 53.67 प्रतिशत रहीं। इस प्रकार महिलाओं की आधी जनसंख्या साक्षरता से दूर रहीं साथ ही महिला सशक्तिकरण को कमजोर बनाता मुख्य बिदु वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या है 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का अनुपात 1000 पुरूषों के पीछे 925 है कई राज्यों में यह 925 से भी कम है।

महिलाओं पर अत्याचार एवं उत्पीड़न संबंधी मानव संसाधन मंत्रालय कें महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में हर 54 वें मिनट में एक महिला का बलात्कार, हर 51 में छेडछाड, हर 26 मिनट में बदसलूकी तथा हर 102 मिनट में दहेज के कारण हत्या होती है।
(स्त्रोत – नीति मार्ग वर्ष 5 अंक 1–15 मार्च 2004)

महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले में उ.प्र. (13. 3 प्रतिशत) का स्थान देश में सर्वोपरि है। इसी तरह अकेले 2000–2001 में बलात्कार 3737, छेड़छाड़ 8510 और यौन उत्पीड़न के 810 मामले अंकित होकर मध्यप्रदेश के इतिहास में काला पृष्ठ जुड़ गया।
(स्त्रोत नारी उत्पीड़न सोशल साईन्स डाक्यूमेंटेशन सीरिज 2004अंक 5)

### महिला सशक्तिकरण हेतु वैधानिक एवं शासकीय प्रयास

भारत के महिला सुरक्षा व स्वतंत्रता संबंधी कानूनों की जानकारी का अभाव शोषित होते रहने का एक बड़ा कारण है परंतु जो महिलाऐं इन कानूनों के बारे ज्ञान रखती है क्या वे परिवार व समाज के समक्ष खड़े होने का साहस पाती है ? महिलाओं की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा हेतु बहुत से कानून बनाए गए है। भारत के संविधान में स्त्री–पुरूष समानता अनुच्छेद 14 की चर्चा की गई। 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम , अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, फैक्ट्री अधिनियम 1948 एवं समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 , सती प्रथा निवारण अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 पारित किए गऐ है।

शासकीय प्रयासों के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण

### विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास हेतु परिचालित योजनाएँ

| क्र योजना का नाम | प्रदेश का नाम | योजना प्रारंभ करने का वर्ष | योजना का मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 1 पंचधारा योजना | म.प्र. | 1991 | ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के विकास एव कल्याण हेतु पांच योजनाओं का संचालन करना। |
| वातसल्य योजना | म.प्र. | 1991 | प्रसवकाल में महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाऐं प्रदान करना। |
| ग्राम्य योजना | म.प्र. | 1991 | ग्रामीण महिलाओं को लघु व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु कार्यशील पूंजी प्रदान करना। |
| आयुष्मती योजना | म.प्र. | 1991 | अति निर्धन महिलाओं को रोगी होने पर इलाज तथा पोष्टिक आहार का प्रबंध करना। |
| सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | म.प्र. | 1991 | निराश्रित विधवाओं के लिए नकद पेंशन प्रदान करना। |
| कल्पवृक्ष योजना | म.प्र. | 1991 | |
| 2. महिला डेयरी योजना | उ.प्र. | 1991 | ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक लाभ के कार्यक्रमों से जोड़कर उनमें नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और उन्हें पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय अपनाने हेतु प्रेरित करना। |
| 3 अपनी बेटी अपना धन योजना | हरियाणा | 1994 | अनु. जाति, जनजाति की बालिकाओं को इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से आर्थिक, संरक्षण प्रदान करना। |
| 4 कुंवर बाइनुं मामेंरू योजना | गुजरात | 1995 | गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। |
| 5 कामधेनु योजना | महाराष्ट्र | 1995 | अपंग,परित्यक्त निराश्रित महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
| 6 बालिका संरक्षण योजना | आंधप्रदेश | 1996 | निर्धनतम परिवारों की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा तथा उनके विवाह को सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
| 7 महिला उत्थान योजना | उ.प्र. | 1998 | ग्रामीण निर्धन महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सफाई तथा आर्थिक गतिविधियों की जानकारी के साथ आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
| 8 गांव की बेटी योजना | म.प्र. | 2005 | |
| 9 प्रतिभा किरण योजना | म.प्र. | 2007 | |

हेतु 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। 31 जनवरी 1992 का राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया एवं सभी पंचवर्षीय योजनओं में महिलाओं के विकास को महत्व दिया गया। भारत सरकार द्वारा 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाऐं – ड्वाकरा योजना 1982, न्यू मॉडल चर्खा योजना 1987, नोराड प्रशिक्षण योजना 1989, महिला समाख्या योजना 1989, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992, किशोरी बालिका योजना 1992, महिला समृद्धि योजना 1993 राष्ट्रीय महिला कोष 1993 राष्ट्रीय मातृत्व लाभी योजना 1994 इंदिरा महिला योजना 1998, मार्जिन मनी ऋण योजना 1995, ग्रामीण महिला विकास परियोजना 1996 इत्यादि योजनाऐं आरंभ की गई।

इन सभी शासकीय प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं की दशा सोचनीय है साथ ही सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होने से अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होती। अतः अनुचित क्रियान्वयन व अकुशल प्रबंधन के साथ–साथ समाज भी महिलाओं की बदतर स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

भारत में आर्थिक विकास के साथ–साथ भारतीय महिलाओं की पांरपरिक छवि बदल गई है। परन्तु फिर भी मानव विकास सूचकांक में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक मानदण्ड उनके पक्ष में नहीं जाता। अतः महिलाओं के संपूर्ण विकास एवं उनको सशक्त बनाने की दिशा में कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण व नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है।

**महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक उपाय**

1. महिलाओं में साक्षरता स्तर को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना विशेष रूप से आवश्यक है। अतः महिला शिक्षा की दिशा में ठोस प्रयास किये जाए। ताकि शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं की स्थिति को सुद्‌ढ बनाया जा सकता है।
2. वे सामाजिक पंरपराएं जो स्त्री की स्थिति को निम्न बनाती है, उनका उन्मूलन करना होगा।
3. व्यक्ति, समाज की मानसिकता, साथ ही साथ स्त्री को भी स्वयं की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा।
4. महिला सशक्तिकरण हेतु महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना होगा।
5. महिला सशक्तिकरण से जुड़े सभी कानूनों का उचित क्रियान्वयन करना होगा अर्थात प्रशासन को मनोवैज्ञानिक स्तर से तैयार करना होगा।
6. महिलाओं को उपभोक्तावदी जंजीरों से मुक्त कराना होगा व नारी सम्मान के प्रति जागरूकता लाना महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों पर प्रभावी रोक लगाना।
7. उत्पीड़ित महिलाओं को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यमों से पर्याप्त सहायता प्रदान करना।
8. महिलाओं को स्वयं अपने अधिकारों के प्रति समर्थ एवं आत्मविश्वास लाना होगा।
9. महिला के सामान्य अधिकारों एवं विद्यमान कानूनों की उनकी असंगतियों को दूर कर उन्हें सुसंगत बनाने की दृष्टि से समीक्षा करना एवं जहॉ–जहॉ प्रक्रियात्मक जटिलताऐं है, उन्हें दूर करना।
10. रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए महिला संगठनों एवं स्वंयं सेवी संस्थाओं को आगे लाना चाहिए।
11. महिला सशक्तिकरण हेतु सभी शासकीय प्रयासों का सही रूप से क्रियान्वयन किये जाने पर अधिक जोर दिया जाए।

उपरोक्त महिला सशक्तिकरण हेतु वर्णित आवश्यक उपायों का सुनियोजित तरीके से क्रियान्वयन करके महिला सशक्तिकरण की सही दिशा स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है।

अतंत यही कहा जा सकता हैं कि महिलाओं को स्व्यं ही हिम्मत व साहस के साथ आगे आना होगा। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को महिला के प्रतिसंवेदनशील होना होगा।

राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय क्षेत्रों में समय–समय पर आयोजित संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं में महिला सशक्तिकरण संबंधी विचारों से यह बात सिद्ध हो रही है कि महिला सशक्तिकरण वर्तमान समाज की आवश्यकता है। तथा इस महत्वपूर्ण मुद्‌दे पर शासकीय प्रयासों को तथा पूरे समाज को ओर अधिक सुदृढ़ रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, तभी प्रत्येक स्तर पर महिला सशक्तिकरण की पहचान बन पाएगी।

**संदर्भ :**

1. कौशिक, आशा (2004) ''नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ'', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, पृ.स. 120–122.
2. नारी उत्पीड़न, सोशल साइंस डाक्यूमेंटेंशन (2004) अंक–5
3. 5. नीति मार्ग वर्ष 5 अंक 1–15 मार्च 2004

4- Resaaearch Link Journal 53, Vol-VII(6)- August 2008, p.no. 66-68.

5- Resaaearch Digesaat Vol-2, issue July-September 2007, p.no. 119